न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय कक्ष संख्या–01,
बुलन्दशहर।

आदेश

मुकदमा अपराध संख्या 382/2019 धारा 498ए,323,506 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3/4 दहेज प्रति0अधिनियम थाना स्याना जिला बुलन्दशहर मे **अभियुक्त विश्वास** न्यायिक अभिरक्षा में है, उनकी जमानत हेतु विद्वान अधिवक्ता ने जमानत आवेदन प्रस्तुत किया है।

जमानत प्रार्थनापत्र पर अधिवक्ता अभियुक्त का कहना है कि आवेदक को उक्त अपराध में झूॅठा फसाया गया है, उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रकरण एक वैवाहिक मामले से सम्बन्धित है। पक्षकारों के मध्य सुलह की संभावना हो सकती है। अन्तरिम जमानत प्रदत्त किया जाना न्यायोचित एवं न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः मध्यस्थतावार्ता हेतु दिनांक 19.10.2020 एवं जमानत प्रार्थनापत्र के निस्तारण हेतु दिनांक 20.10.2020 तिथि नियत की जाती है। अभियुक्त को उक्त अवधि के लिए अन्तरिम जमानत प्रदान की जाती है।

प्रकरण की परिवादिनी को कार्यालय से तत्काल नोटिस नियत तिथि के लिए जारी हों। सम्बन्धित थाना प्रभारी व्यक्तिगत रूचि लेकर अन्दर तीन दिन जारी नोटिस का तामीला सुनिश्चित कर न्यायालय को अवगत करॉए। नियत तिथि तक के लिए अभियुक्त को अंकन–20,000रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं इसी धनराशि के दो प्रतिभू एवं अंडर टेकिंग इस आशय की प्रस्तुत करने पर अन्तरिम जमानत पर रिहा किया जाता है कि वह न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगें।

(दीप्ती सिंह)

दिनांक 06.10.2020 अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
Syed Arif-Ur-Rehman न्याय.कक्ष सं0–01,बुलन्दशहर।